प्रेस नोट दिनांक 13.01.2025
थाना फरीदपुर जनपद बरेली

थाना फरीदपुर #bareillypolice द्वारा मु0अ0सं0 913/2024 धारा 140(1)/103(1)/238/61(2)/3(5) बीएनएस मे वांछित एवं 25000 का इनामिया अभियुक्त को मुठभेड के दौरान किया गिफ्तार।

थाना फरीदपुर पुलिस द्वारा SOG टीम जनपद बरेली के सहयोग से आज दिनांक 13.01.2025 को थाना हाजा पर पंजीकृत मु0अ0सं0 913/2024 धारा 140(1)/103(1)/238/61(2)/3(5) बीएनएस के वॉछित एवं 25000 का इनामिया अभि0 सूरज पुत्र अशोक निवासी ग्राम बाखरगंज थाना फत्तेहगंज पूर्वी जनपद बरेली हाल निवासी ग्राम बभिया थाना कैण्ट, बरेली को मुखबिर की सूचना पर ग्राम गौसगंज के पास नहर पटरी पर बनी सड़क किनारे से पुलिस मुठभेड के दौरान समय करीब 06.50 बजे प्रातः गिरफ्तार किया गया। अभि0 के कब्जे से एक अदद तमंचा .315 बोर मय 02 जिन्दा कारतूस .315 बोर व नाल मे फसा हुआ एक अदद खोखा कारतूस .315 बोर बरामद हुआ। बरामदगी के आधार पर अभि0 के विरूद्ध मु0अ0सं0 36/2025 धारा 109 बीएनएस व 3/25 आयुध अधि0 पंजीकृत कर अग्रिम कार्यवाही हेतु मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

<u>सक्षिप्त विवरण –</u>

वादिनी श्रीमती मोरकली पत्नी स्व0 हरीशचन्द्र नि0मो0 कानूनगोयान तह0 व थाना बहेडी जनपद बरेली के पुत्र लेखपाल मनीशचन्द्र कश्यप के दिनांक 27.11.2024 को डियूटी के दौरान तहसील परिसर फरदीपुर से गुम हो जाने के सम्बन्ध में तहरीर के आधार पर थाना हाजा पर गुमशदगी रपट नं0 51 समय 20.05 बजे पंजीकृत की गयी थी। दिनांक 02.12.2024 को श्रीमती मोरकली उपरोक्त ने अपने बेटे लेखपाल मनीषचन्द्र कश्यप को अज्ञात अभि0गण द्वारा अपहारण करने के सम्बन्ध मे प्रा0पत्र दिया गया जिसके आधार पर थाना हाजा पर मु0अ0सं0 913/2024 धारा 140(1) बीएनएस पंजीकृत किया गया। दौरान विवेचना अपहृत लेखपाल मनीशचन्द्र कश्यप के शव का कंकाल व अन्य सामान दिनांक 15.12.24 को अभि0 ओमवीर उर्फ अवधेश पुत्र श्री स्व0 महेशपाल नि0 ग्राम कपूरपुर थाना फरीदपुर, बरेली की हस्व निशादेही पर बरामद किया गया। तथा अभि0गण 1.नन्हे पुत्र सुखराम नि0 नगरिया कला थाना फतेहगंज पूर्वी जनपद बरेली 2.सूरज पुत्र अशोक नि0 वाखरगंज थाना फतेहगंज पूर्वी जनपद बरेली हाल नि0 बभिया थाना कैन्ट जनपद बरेली 3.नेत्रपाल पुत्र मलखान नि0 चूरा नवदिया थाना अलीगंज जनपद बरेली के नाम प्रकाश में आये। अभि0गण द्वारा मिलकर लेखपाल मनीशचन्द्र कश्यप का अपहारण कर मफलर से गला घोट कर हत्या कर शव को थाना सुभाषनगर क्षेत्र मिर्जापुर से गाँव चौवारी को जानें वाले कच्चे रास्ते पर नाले के किनारे झाडियो/घास मे फेक दिया था। साक्ष्य के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में धारा 103(1)/238/61(2)/3(5) बीएनएस की बढ़ोत्तरी की गयी थी। मुकदमा उपरोक्त की विवेचना अन्तर्गत धारा 140(1)/103(1)/238/61(2)/3(5) बीएनएस में सम्पादित की जा रही है। अभि0 सूरज उपरोक्त विगत काफी समय से फरार चल रहा था जिसकी गिरफ्तारी हेतु वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद बरेली द्वारा 25000/- रूपये का पुरस्कार घोषित किया गया था, जिसे आज थाना फरीदपुर पुलिस द्वारा SOG टीम के सहयोग से गिरफ्तार कर लिया गया है।

<u>गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण</u>

सूरज उम्र करीब 28 वर्ष पुत्र अशोक निवासी ग्राम बाखरगंज थाना फत्तेहगंज पूर्वी, बरेली हाल निवासी ग्राम बभिया थाना कैण्ट, बरेली

<u>बरामदगी</u>

एक अदद तमंचा .315 बोर मय 02 जिन्दा कारतूस .315 बोर व नाल मे फसा हुआ एक अदद खोखा कारतूस .315 बोर व 140 रूपये नगद

अपराधिक इतिहास

1. मु0अ0सं0 913/2024 धारा 140(1)/103(1)/238/61(2)/3(5) बीएनएस
2. मु0अ0सं0 36/2025 धारा 109 बीएनएस व 3/25 आयुध अधि0

गिरफ्तार करने वाली टीम

1.श्री हरेन्द्र सिंह, प्रभारी निरीक्षक थाना फरीदपुर जनपद बरेली
2.श्री सुनील शर्मा प्रभारी निरीक्षक SOG, मय टीम जनपद बरेली
3.श्री जितेन्द्र कुमार उपनिरीक्षक थाना फरीदपुर जनपद बरेली
4.हे0का0 357 संतोष वर्मा थाना फरीदपुर जनपद बरेली
5. का0 2938 अंकित कुमार थाना फरीदपुर जनपद बरेली
6. का0 1140 विनय यादव थाना फरीदपुर जनपद बरेली